



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक 09.02.2024

थाना धामपुर पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने तीन अभियुक्तों को 02 किलो 700 ग्राम गांजा सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों के विक्रय/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध नशीले पदार्थों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.02.2024 को थाना धामपुर पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुराना धामपुर चुंगी भांग के ठेके से अभियुक्तगण 1.मदन सैनी पुत्र होरी सिंह नि0 मौ0 चम्पादेवी सूर्य नगर कॉलोनी कस्बा व थाना धामपुर बिजनौर 2.संदीप शर्मा पुत्र राकेश शर्मा नि0 मौ0 विश्णोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर 3.आशुतोष सैनी पुत्र घनश्याम सैनी नि0 मौ0 अचारजान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को 02 किलो 700 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 54/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम मदन सैनी आदि 04 नफर अभि0गण पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1.मदन सैनी पुत्र होरी सिंह नि0 मौ0 चम्पादेवी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
- 2.संदीप शर्मा पुत्र राकेश शर्मा नि0 मौ0 विश्णोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 3.आशुतोष सैनी पुत्र घनश्याम सैनी नि0 मौ0 अचारजान कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

1. 02 किलो 700 ग्राम गांजा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
- 2-आबकारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार धामपुर जनपद बिजनौर।
- 2-का0 216 मनोज कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
- 3-प्रधान आबकारी आरक्षी राहुल कुमार धामपुर जनपद बिजनौर।
- 4-आबकारी आरक्षी ईमानदार सिंह धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना नहतौर

दिनांक 09.02.2024

थाना नहतौर पुलिस ने अभियुक्त को एक चाकू नाजायज सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नहतौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त शाहजाद उर्फ गलकटा उर्फ रनधावा पुत्र अब्दुल मलिक निवासी मौ० मिर्दगान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 01 अदद चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नहतौर पर मु०अ०स० 43/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. शाहजाद उर्फ गलकटा पुत्र अब्दुल मलिक नि० मौ० मिर्दगान थाना नहतौर बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

1- एक अदद चाकू नाजायज।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शाहजाद उपरोक्त-

1. मु०अ०स० 43/24 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. मु०अ०स० 735/16 धारा 379/411 भादवि थाना को०शहर जनपद बिजनौर
3. मु०अ०स० 790/17 धारा 302 भादवि थाना को० शहर जनपद बिजनौर
4. मु०अ०स० 835/17 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना को०शहर जनपद बिजनौर
5. मु०अ०स० 836/21 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना को० शहर बिजनौर
6. मु०अ०स० 617/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
7. मु०अ०स० 349/16 धारा 102/41 सीआरपीसी व 414/411 भादवि थाना नहतौर
8. मु०अ०स० 594/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- हे०का० 584 संदीप कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

2- का० 749 राजदीप थाना नहतौर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 09-02-2024

थाना नहतौर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गयी रिक्शा सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.02.2024 को वादी श्री छोटू पुत्र जमील अहमद निवासी मौ० छापेग्रान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना नहतौर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त उमेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम बैरमनगर थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की रिक्शा चोरी कर ली है । तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु०अ०सं० 44/24 धारा 379 भादवि बनाम उमेश कुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नहतौर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त उमेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम बैरमनगर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को मुखबिर की सूचना पर रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास से रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया । रिक्शा बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

उमेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम बैरमनगर थाना नहतौर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

रिक्शा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ०नि० श्री जितेन्द्र थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.कां० 2159 आकाश कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 3.हो०गा० 1440 छतरपाल सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 09.02.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 55/2024 धारा 363/376(3)/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.02.2024 को वादी द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त चुनिया पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम अमीरपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने वादी की पुत्री के साथ गलत कार्य किया तथा जान से मारने की धमकी दी । तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 55/2024 धारा 376(3)/506 भादवि व 5m/6 पॉक्सो अधि0 बनाम चुनिया उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग से धारा 5m/6 पॉक्सो अधि0 का लोप कर धारा 363 भादवि व धारा ¾ पॉक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.02.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 55/2024 धारा 363/376(3)/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त चुनिया पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम अमीरपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

चुनिया पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम अमीरपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.श्री धर्मेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री यशपाल मलिक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1962 रजनीश थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 4.कां0 2053 हेमन्त थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक:- 09.02.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.02.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	मंडावर	अरुण कुमार पुत्र नौहबार सिंह नि० मौहल्ला शाहविलायत थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2.	कोतवाली देहात	राजपाल सिंह पुत्र गिरधारी सिंह नि० ग्राम सिकैडा थाना कोतवाली देहात बिजनौर
3.	नहटौर	कय्यूम पुत्र अब्दुल रहमान नि० ग्राम पाडला थाना नहटौर जनपद बिजनौर
4.	नहटौर	पंकज पुत्र रेवती सिंह उर्फ रतिराम नि० ग्राम पहाड़पुर नन्हेड़ा थाना नहटौर बिजनौर
5.	स्योहारा	कुलदीप पुत्र हकरेश निवासी ग्राम सतवई थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
6.	स्योहारा	सतेन्द्र पुत्र हरकेश निवासी ग्राम सतवई थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
7.	हल्दौर	नवनीत सिंह पुत्र यादराम निवासी ग्राम लाडनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर



थाना मंडावर



थाना कोतवाली देहात



थाना नहटौर



थाना स्योहारा



थाना हल्दौर